कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर राजस्थन

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/प्र.शा.स.ग्रेड-III/सी.भ./2017-18/दिनांक 22.10.2020 के निर्देशानुसार एवं पूर्व पत्र दिनांक 01.08.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में चयनित निम्नांकित अभ्यार्थियों को जिला आवंटित कर परामर्श कैम्प के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाने हेतु दिनांक 30.10.2020 को कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें संलग्न सूची के चयनित निम्नांकित अभ्यार्थियों को प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक FD-15(1)FD Rules/2017 Jaipur Dated 30-10-2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक F-15(15) FD Rules/2017 Jaipur Dated 09-12-2017 के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर रूपये 18500/- प्रतिमाह स्थाई पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनेशन) पर 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त प्रयोगशाला ग्रेड-तृतीय के पद की वेतन श्रंखला L-8 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता महंगाई वेतन (डी0पी0) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा। साथ ही परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पेंशन अंशदान , राज्य बीमा , प्रावधायी निधि आदि की कटौती होगी एवं अन्य सुविधाएँ एवं अन्य अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

इन्हें दिनांक 09.11.2020 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित होगा। अंतिम दिनांकः 09.11.2020 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा नियुक्त निरस्त की जाकर मूल आवेदन पत्र निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटा दिया जावेगा। उक्त नियुक्तियॉं कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा-2018 के तहत् की गई हैं। उक्त नियुक्ति पर आशार्थियों के कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व सम्बन्धित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही करवाते हुए इस कार्यलय को तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट से अवगत करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु इस कार्यालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाएँ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जॉंच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएँ अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधीनस्थ प्रदान की जा रही हैं। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों 50/- रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम पर इस आशय का शपथ-पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता आयु एंव आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एंव अभ्यर्थी की विगत (Details where About) की सही जॉच कर आदेश जारी किये जावे त्रुटिया नही हो। त्रुटिया होने पर संबंधित के विरूद्व विभागीय जॉच सुनिश्चत की जावे।
5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकःF-7(1)DOP/A-II/95 Dated 08-04-2003 एवं F-7(1)कार्मिक/क-2/45/पार्ट-II Dated 20.11.2015 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या 02 (दो) से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

लगातार-2

30.10.2020

Scanned by CamScanner

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ–पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूट रचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.–7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बंधता देनी होगी एवं कार्यग्रहण से पूर्व आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावें ।

8. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

9. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग में चयनित आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावें।

10. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप मे कार्मिक (क–2) विभागी की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ण करावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावे।

11. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

12. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरूद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें।

13. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक, भर्ती परीक्षा–2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।

S. no	Roll No.	Merit	Name	Father Name	DOB	Gender	Sel. Cat.	H-Cat	O-cat	Place of Posting
01	328800	6774	MUKESH YADAV	SITA RAM YADAV	14-08-1986	MALE	OBC	LDCP	OBC	रा0उ0मा0वि0राजाखेडा जिला धौलपुर

(सियाराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/मु/मा/धौ/संस्था–1/प्र.शा.स.ग्रेड–III/2020–21/3292 दिनांक 30.10.2020

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला धौलपुर
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/ ....
7. रक्षित पत्रावली।

30.10.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर

Scanned by CamScanner